

वाराणसी: नकली कोवैक्सीन का रैपर छापने वाला दबोचा गया, गिरोह का सरगना अभी भी फरार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 17 Apr 2022 11:10 AM IST

सार

नकली कोविशील्ड वैक्सीन और नकली कोविड टेस्टिंग किट, रेमडेसिवीर तैयार कर बेचने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने इसी साल दो फरवरी को भंडाफोड़ किया था। अब तक इस केस में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।



विस्तार

नकली कोविड टेस्ट और कोवैक्सीन मामले में आरोपी प्रिंटिंग प्रेस संचालक को वाराणसी की लंका पुलिस ने शनिवार को अस्सी-लंका मार्ग से गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दो माह के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक इस केस में प्रिंटिंग प्रेस संचालक सहित छह आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जबकि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी समेत सात अन्य आरोपी फरार हैं। लंका इंस्पेक्टर वेद प्रकाश राय के अनुसार आरोपी लेदूपुर निवासी भरत मिश्रा कोवैक्सीन का नकली रैपर छापता था।

इसी साल दो फरवरी को एसटीएफ वाराणसी इकाई ने लंका थाना अंतर्गत रोहित नगर कॉलोनी स्थित मकान में छापामारा था। मकान के तीन कमरों से चार करोड़ रुपये की नकली वैक्सीन और पैकिंग मशीन सहित अन्य सामान बरामद हुआ था। इस मामले में नई दिल्ली के मालवीय नगर निवासी लक्ष्य जावा, सिद्धगिरी बाग निवासी राकेश थानवी, पठानी टोला निवासी संदीप शर्मा उर्फ मक्कू, लहरतारा बौलिया का अरुणेश विश्वकर्मा और बलिया रसड़ा निवासी शमशेर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जेल में बंद चौक थाना के पठानी टोला निवासी संदीप शर्मा उर्फ मक्कू के कहने पर अस्सी स्थित प्रिंटिंग संचालक रैपर की छपाई करता था।

इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

वहीं फरार आरोपियों में नई दिल्ली निवासी अरुण शर्मा, अरुण पटानी, मानसी, रधवीर, गुरजीत, गुरबाज और कबीरचौरा का रहने वाला राहुल जायसवाल समेत दो अन्य शामिल हैं। जिला जेल में बंद लक्सा के रामापुरा निवासी राकेश थानवी और चौक के पठानी टोला निवासी संदीप शर्मा के खिलाफ रासुका लगाया गया है।